लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर),बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS.

ऑनलाईन अपील संख्या 218170218376513/2026
अपील सं. 19/2026
जीसीएमएरा सं. 2026/57

ऑनलाईन अपील संख्या 218160016717263/2026
अपील सं. 18/2026
जीसीएमएरा सं. 2026/56

प्रार्थी/अपीलार्थी :–		अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–
श्री आशीष शर्मा, निवासी P 26 MADHUBAN COLONY WEST TONK ROAD, JAIPUR, WARD NO-136, JAIPUR GREATER JAIPUR RAJASTHAN 302015 Mobile no- 9844202990	बनाम	तहसीलदार (भू–अभिलेख) (लोक सूचना अधिकारी), जिला कलक्टर कार्यालय, बांसवाडा

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांक :– 25–05–2026

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा **तहसीलदार (भू–अभिलेख) (लोक सूचना अधिकारी), जिला कलक्टर कार्यालय, बांसवाडा** से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ऑन लाईन आवेदन 218421519266300 दिनांक 12–03–2026 एवं 218028238619309 दिनांक 12–03–2026 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन में किसी भी प्रकार के सरकारी लाभ को प्राप्त करने वाले किसानो की सूची गांव एवं खसरा नंबर के साथ चाही। अपीलार्थी अनुसार उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर **तहसीलदार (भू–अभिलेख) (लोक सूचना अधिकारी), जिला कलक्टर कार्यालय, बांसवाडा** द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराने पर दो अपील प्रस्तुत की गई है। दोनो अपील की विषयवस्तु एक है।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बाँसवाडा (राज.)

दोनो अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस दिनांक 07–05–2026 जारी किये गये एवं प्रत्यर्थी को भी नियत तिथी को अपना पक्ष रखने उपस्थित होने सूचित किया गया।

तहसीलदार (भू–अभिलेख) (लोक सूचना अधिकारी), जिला कलक्टर कार्यालय, बांसवाडा ने उनके पत्रांक भू.अ./ प–3(1) 2025/ 2001 व 2002 दिनांक 18–05–2026 से जवाब प्रस्तुत करते हुए अपने जवाब में उल्लेखित किया कि वांछित सूचना का संधारण इस कार्यालय में नही होने से, सूचना उपलब्ध नही करवाई जा सकती है। इस सम्बन्ध में अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक भू.अ./ प–3(25) 2025/1806–07 दिनांक 07.05.2026 से सूचित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा अपील दर्ज करने के पश्चात् पुनः पंजीकृत डाक नम्बर ER115173915IN दिनांक 15.05.2026 द्वारा सूचित किया गया। अपील अपीलार्थी निरस्त फरमावे।

हमने पत्रावली का एवं **तहसीलदार (भू–अभिलेख) (लोक सूचना अधिकारी), जिला कलक्टर कार्यालय, बांसवाडा** द्वारा प्रस्तुत जवाब का अध्ययन किया। अपीलार्थी द्वारा उनके प्रार्थना पत्र 218421519266300 दिनांक 12–03–2026 एवं 218028238619309 दिनांक 12–03–2026 से एक बिन्दु जिसके तहत किसी भी प्रकार के सरकारी लाभ को प्राप्त करने वाले किसानो की सूची गांव एवं खसरा नंबर के साथ चाही। वांछित सूचना लोक कार्यालय में संधारित नही होने के बाबत् लोक सूचना अधिकारी द्वारा उनके पत्रांक भू.अ./ प–3(25) 2025/1806–07 दिनांक 07.05.2026 से एवं पुनः जरिये रजिस्टर्ड डाक ER115173915IN दिनांक 15.05.2026 से अपीलार्थी को सूचित किया है। डाक ट्रेक कन्साईन्मेंट रिपोर्ट जवाब के साथ संलग्न है।

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक प 3(22) प्रसु/ सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु सं. 3 के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना प्राधिकारी द्वारा सूचना

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बाँसवाडा (राज.)

सृजित करना अपेक्षित नही है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक सूचना प्राधिकारी कार्यालय द्वारा नियमानुसार संधारित की जाती है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1)(B) के अनुसार चाही गई सूचना में स्पष्ट विशिष्टियाँ अंकित करना अपेक्षित है।

इस प्रकार **तहसीलदार (भू–अभिलेख) (लोक सूचना अधिकारी), जिला कलक्टर कार्यालय, बांसवाडा** ने सूचना के सन्दर्भ में उनके पत्रांक भू.अ./ प–3(25) 2025/1806–07 दिनांक 07.05.2026 से एवं पुनः जरिये रजिस्टर्ड डाक ER115173915IN दिनांक 15.05.2026 से अपीलार्थी को सूचित किया है। अब इन प्रकरणों में कोई कार्यवाही शेष नही रहने से दोनो अपील अपीलार्थी के विरुद्ध निर्णित की जाती है। एक पत्रावली में निर्णय की मूल प्रति एवं अन्य में निर्णय की फोटो प्रति संलग्न की जावे। निर्णय की प्रति पोर्टल पर अपलोड की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25–05–2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. इंद्रजीत यादव) IAS.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बॉसवाडा (राज.)